R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड V ◆ अंक 8
फरवरी 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र (एफएलसीसी) पर आम जनता के साथ बैंकों से भी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए एक अवधारणा पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्रों के लिए एक आदर्श योजना तैयार की है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं-

उद्देश्य

वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र का व्यापक उद्देश्य मुफ्त वित्तीय साक्षरता / शिक्षण और ऋण सलाह उपलब्ध कराना होगा । वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

(i) आमने - सामने विचार - विमर्श करके तथा ई-मेल, फैक्स, मोबाइल आदि जैसे अन्य उपलब्ध प्रचार माध्यमों द्वारा वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना जिनमें दायित्वपूर्ण उधार, सक्रिय और शीघ्र बचत पर शिक्षण तथा उन व्यक्तियों को ऋण सलाह प्रदान करना शामिल है जो औपचारिक और /या अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रों से ऋणग्रस्त हैं।

(ii) औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करना।

(iii) लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ जुड़ने के फायदों से अवगत कराना;

(iv) संकटग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करना और सहकारी सहित औपचारिक वित्तीय संस्थानों के विचारार्थ उनकी सिफारिश करना।

(v) ऐसे कार्य-कलाप करना जो वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरुकता, वित्तीय आयोजना को बढ़ाते हों और किसी व्यक्ति के ऋण संबंधी संकट को कम करते हों।

तथापि, वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र को किसी बैंक विशेष के निवेश सलाह केन्द्र /उत्पादों के विपणन केन्द्र के रूप में काम नहीं करना चाहिए। सलाहकार को जीवन बीमा, पालिसियों/प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों के क्रय/विक्रय आदि के बारे में विपणन/सलाह देने या केवल बैंक के अपने उत्पादों में निवेश बढ़ाने आदि कार्यों से बचना चाहिए।

संगठनात्मक / प्रशासनिक संरचना/मूलभूत सुविधा

आरंभ में, वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र चलाने के लिए बैंक अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से न्यास/समितियाँ स्थापित कर सकते हैं। बैंक ऐसे न्यास/समितियों के बोर्ड में सम्मानित स्थानीय नागरिकों को शामिल कर सकते हैं। सेवारत बैंकरों को बोर्ड में शामिल नहीं किया जाए। न्यास में वरिष्ठ नागरिकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शुरूआत के तौर पर वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र को सारी निधियाँ बैंकों द्वारा दी जाएँगी।

सलाह केन्द्र मूल बैंक के साथ अपने संबंधों में थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे तथा अधिमानतः बैंक परिसर में स्थित नहीं होंगे। ऐसा इस बात का संकेत देने से बचने के लिए होगा कि केन्द्र बैंक का ही एक भाग है। केन्द्रों को अपने मूल बैंक के उत्पादों का प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में, लागत को कम करने के लिए यदि बैंक परिसर का उपयोग किया जाता है तो वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र की पहचान को उसके मूल बैंक से अलग रखने के लिए उसे अलग प्रवेश द्वार और बैंक शाखा से भिन्न रंग-रूप के साथ पूर्णतः अलग रखा जाए। बैंक ऐसे न्यासों/समितियों का कारगर पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए गुप्त कॉल करें या उनका छद्म दौरा करें।

बैंक पर्याप्त संचार और नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ एक समुचित मूलभूत सुविधा संरचना लागू करें। उनके पास सहज संपर्क के लिए शुल्क मुक्त टेलीफोन, इ-मेल अथवा फैक्स सुविधाएँ रहनी चाहिए। ग्राहकों से चर्चा में उनकी निजी स्वतंत्रता/गोपनीयता बनाए रखने के लिए अलग कक्षों की स्थापना की जाए।

सलाह केंद्रों तक पहुँच को व्यापक बनाने के लिए जिले के सभी प्रखण्डों में सेवा प्रदान करने हेतु मोबाइल इकाईयों की स्थापना की जाएगी।

ऋण संबंधी सलाह के प्रकार

ऋण संबंधी सलाह रक्षात्मक और सुधारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र	1
ऑन-लाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा	2
शाखा लाइसेंसीकरण	
आरटीजीएस समय सीमा को बढ़ाया गया	2
एटीएम लेनदेन - गलत नामे की प्रतिपूर्ति	3
भारत-नेपाल विप्रेषण योजना - सेवा प्रभार संशोधित	3
शहरी सहकारी बैंक	
अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश	3
गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश	3
मानक अस्तियों और जोखिम भारिता के लिए प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड	3
फेमा	
डायमंड डॉलर खाता खोलना उदार बनाया गया	4

है। रक्षात्मक सलाह के मामले में केन्द्र ऋण की लागत, जहाँ आवश्यक हो पिछले और अगले संयोजनों की उपलब्धता आदि की जानकारी दे सकते हैं। ग्राहक को उसकी चुकौती क्षमता के आधार पर ऋण लेने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। रक्षात्मक सलाह मीडिया, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से दी जा सकती है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र स्थानीय भाषा में सामान्य वित्तीय शिक्षा प्रतिदर्श आरंभ करने पर विचार कर सकते है। मोटे तौर पर प्रतिदर्श की विषय-वस्तु में बचत की आवश्यकता, बजट निर्धारण, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले बैंकिंग लाभ, जोखिम और पुरस्कार की अवधारणा, पैसे का सामयिक मूल्य, बैंकों / बीमा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न उत्पाद, आदि को शामिल किया जा सकता है। प्रतिदर्श में जमाराशियों और अन्य वित्तीय उत्पादों, बचत बैंक खातों, सावधि जमाराशियों पर ब्याज की गणना की पद्धति और यौगिक पद्धति से संबधित पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। प्रतिदर्श में पैसे के सामयिक मूल्य पर जोर दिया जा सकता है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र को चाहिए कि वे उचित संव्यवहार संहिता, नामांकन सुविधाओं के लाभ, खातों का परिचालन आदि के अंतर्गत ग्राहकों के अधिकारों पर पर्याप्त जोर दें।

रक्षात्मक सलाह आय स्तर और उसकी ऋण की मात्रा के आधार पर प्रत्येक उधारकर्ता के लिए अधिदेशात्मक कर देना चाहिए। इस प्रकार की अधिदेशात्मक ऋण-सलाह, बैंक के ऋण संव्यवहार का एक भाग हो सकती है।

सुधारात्मक सलाह के मामले में, ग्राहक अपने नियंत्रित ऋण संविभाग की सुव्यवस्था के लिए वैयक्तिक ऋण प्रबंध योजना तैयार करने हेतु सलाह केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए, केन्द्र कारगर ऋण पुनर्संरचना योजना तैयार कर सकते हैं जिसमें यदि आवश्यक हो,तो शाखा प्रबंधक के परामर्श से अनौपचारिक स्रोतों को ऋण की चुकौती को शामिल किया जा सकता है।

ऋण परामर्श / ऋण निपटान व्यवस्था

बैंक अपने संकटग्रस्त ग्राहकों और किसी भी बैंक के ग्राहकों को उनके द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें । ऐसे किसी वित्तीय साक्षरता सलाह केंद्र के बारे में जानकारी अग्रणी बैंक योजना के अधीन उपलब्ध विभिन्न मंचों के माध्यम से दी जा सकती है। बैंक, जहां उन्हें पूर्व चेतावनी के संकेत मिले हों, वसूली के उपाय आरंभ करने से पहले मामलों को सलाह केन्द्रों को भेजने के लिए एक शुरुआती व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। समय पर हस्तक्षेप से उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहायता मिलेगी।

एकल ऋणदाता ऋणों के मामले में वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र संबंधित बैंक के साथ बातचीत करने में उधारकर्ता की मदद कर सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा लिए गए कई ऋणों के मामले में वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र उन बैंक / बैंकों के साथ जिनकी ऋण पुनर्संरचना में भारी हिस्सेदारी हो बातचीत कर सकते हैं और वसूलियों को समानुपातिक आधार पर वहन करने के लिए कह सकते हैं। वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र द्वारा दिए गए सुझावों / प्रस्तावों की समीक्षा करके बैंक प्रस्ताव को उसके मूल रूप में या ऐसे संशोधित रूप में जिसे वे उचित समझें स्वीकार करने के अपने स्वतंत्र और सुविचारित निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र द्वारा सुझाए गए ऋण पुनर्संरचना संबंधी प्रस्ताव को अंततः स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प संबंधित बैंक पर छोड़ दिया जाए। तथापि, वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र द्वारा दिए गए पुनर्संरचना संबंधी प्रस्तावों को यदि स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाता है तो वे पारदर्शिता के हित में वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र को उसके कारण लिखित रूप में बताएं।

सलाहकार की शैक्षिक अर्हता/प्रशिक्षण

- केन्द्रों पर केवल पूर्णकालिक सुशिक्षित / प्रशिक्षित सलाहकारों को नियुक्त किया जाए।
- कृषि और सहबद्ध कार्यकलापों से संबंधित परामर्श देने के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र कृषि क्षेत्र का प्रमुख रूप से ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों को नियुक्त करने पर विचार करें।
- सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों, आदि को अन्यों के साथ-साथ ऋण सलाहकारों के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुमति दी जाए।
- ऋण सलाहकारों को बैंकिंग, विधि, वित्त, अपेक्षित संप्रेषण और समूह निर्माण कौशल आदि की व्यापक जानकारी होनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हितों का टकराव न हो, वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र का प्रबंध करने वाले व्यक्ति बैंक के स्टाफ नहीं होने चाहिए।

सलाहकारों के लिए उचित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन बहुत अनिवार्य होता है ताकि वे बैंकिंग उद्योग की ताजा गतिविधियों से स्वयं को अवगत रख सकें। सलाहकारों को निरंतर आधार पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है ताकि वे अपने कौशल को अद्यतन रख सकें।

पारदर्शिता / जानकारी का प्रकटन/ प्रचार

सुविचारित निर्णय लेने में ग्राहकों की सहायता के लिए सभी बैंक रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र में यथानिर्धारित शुल्कों, प्रभारों आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें। बैंकों द्वारा खोले गए वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के ब्योरे भी संबंधित बैंक की वेबसाइट पर डाले जाएं।

सभी प्रचार माध्यमों जैसेकि प्रेस सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रकाशनों, वेबसाइटों, मार्गस्थ प्रदर्शनों, मोबाइल यूनिटों, गांव के मेले आदि का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाए। इस प्रयोजन के लिए सभी बैंकों द्वारा उचित बजट प्रदान किया जाना चाहिए।

ऑन-लाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा

ऑन-लाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाए जाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे 1 अगस्त 2009 से अनिवार्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था लागू करें-

i) आइवीआर लेनदेन को छोड़कर सभी ऑन-लाइन *कार्ड उपलब्ध नहीं है* के लिए कार्डों पर नहीं दिखाई देने वाली सूचना पर आधारित अतिरिक्त अधिप्रमाणन/वैधीकरण हेतु एक प्रणाली; और

ii) 5,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी प्रकार के *कार्ड उपलब्ध नहीं है* लेनदेन के लिए कार्डधारक को *ऑन-लाइन सावधानी* की एक प्रणाली उपलब्ध कराना।

शाखा लाइसेंसीकरण

आरटीजीएस समय सीमा को बढ़ाया गया

उपभोक्ता लेनदेन के लिए तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) की समय सीमा को शनिवार के दिन दोपहर 12.00 बजे से 12.30 बजे तक तथा अंतरबैंक लेनदेन के लिए 14.00 बजे से 14.30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ग्राहक तथा अंतर बैंक लेनदेन के लिए तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) की निर्दिष्ट समय सीमा निम्न प्रकार है :

दिन	ग्राहक लेनदेन	अंतर-बैंक लेनदेन
सोमवार-शुक्रवार	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 16.30 बजे तक	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 18.00 बजे तक
शनिवार	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 14.30 बजे तक

नई समय सीमा 10 जनवरी 2009 से लागू हो गई है।

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली को वांछित स्तर तक लाने के लिए तत्काल सकल भुगतान प्रणाली सदस्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वेः

- रिज़र्व बैंक के कारोबारी सत्रों के अनुकूल अपने ग्राहक विंडो का समय विस्तार करें।
- ग्राहकों को शिक्षित करने/विज्ञापनों आदि के द्वारा उत्पाद को लोकप्रिय बनाएँ।
- शाखा स्तर पर एक उपयोगकर्ता अनुकूल वातावरण सृजित करें।
- उन शाखाओं की पहचान करें जो सक्षम हैं लेकिन इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर रही हैं।
- तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के व्यापक उपयोग के लिए शाखाओं को प्रोत्साहित करें।
- अपने संपूर्ण शाखा नेटवर्क को तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के लिए सक्षम बनाएँ।
- संबंधित बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों को तत्काल सकल भुगतान प्रणाली सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराएँ।

एटीएम लेनदेन - गलत नामे की प्रतिपूर्ति

स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) द्वारा विभिन्न कारणों से नकदी संवितरित नहीं किए जाने पर भी खातों में नामे डालने से संबंधित बैंक ग्राहकों से कई शिकायतें प्राप्त होने के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे गलती से नामे डाले गई राशि की प्रतिपूर्ति ग्राहकों को ग्राहक शिकायतें प्राप्त होने की तारीख से अधिक-से-अधिक 12 दिनों की अवधि के भीतर करें।

भारत-नेपाल विप्रेषण योजना - सेवा प्रभार संशोधित

भारत-नेपाल विप्रेषण योजना के माध्यम से भारत से नेपाल को निधियों के अंतरण हेतु ग्राहकों को प्रभारित सेवा प्रभारों को संशोधित किया गया है। तत्काल प्रभाव से लागू संशोधित प्रभार हैं :

(क) प्रवर्तक बैंक-अधिकतम 5 रुपए प्रति लेनदेन-राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के अनुरूप

(ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) - 20 रुपए प्रति लेनदेन। भारतीय स्टेट बैंक नेपाल एनएसबीएल के साथ 20 रुपए की सहभागिता करेगा जिसे प्रत्येक को 10 रुपए प्राप्त होंगे। एनएसबीएल हिताधिकारी के नाम पर जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि प्रभारित नहीं करेगा यदि हिताधिकारी का उसके पास कोई खाता है।

(ग) यदि हिताधिकारी एनएसबीएल के साथ किसी खाते का रखरखाव नहीं करता है तो 5,000 रुपए तक के प्रति विप्रेषण के लिए 50 रुपए और 5,000 रुपए से अधिक के प्रति विप्रेषण के लिए 75 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी।

सहभागगिता करने वाले बैंकों की प्रवर्तक शाखाएं समस्त प्रभारित राशि की वसूली करेंगी और अपना हिस्सा रख लेने के बाद समूचित राशि भारतीय स्टेट बैंकों अंतरित कर देंगी।

शहरी सहकारी बैंक

अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश

बैंकों और उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों के निवेश पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। ये संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) निवेश सीमा

माँग मुद्रा/सूचना मुद्रा और जमाराशियों सहित सभी प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों (अंतर-बैंक) में किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई कुल जमाराशियाँ यदि कुछ हों, और समाशोधन सुविधा, ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विप्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी, साख पत्र आदि जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए रखी गई हो तो उसे गत वर्ष के 31 मार्च तक अपनी कुल जमा देयताओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों में और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमालेखा तथा अंतर-बैंक के निवेश के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में निवेश के रूप में धारित शेष को इस 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल किया जाएगा।

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटरपार्टी सीमा

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) निवेश सीमा के भीतर किसी एकल बैंक के पास जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाले बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विवेकपूर्ण सीमा में छूट

वर्तमान में टीयर I के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 15 प्रतिशत तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने से छूट दी गई है बशर्ते वह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड के पास ब्याज धारण करने वाली जमाराशियों के रूप में रखी गई है। इन जमाराशियों को ऊपर निर्दिष्ट अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है।

संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक अथवा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुरक्षित शेषों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत सांविधक चलनिधि अनुपात माना जाएगा। इन जमाराशियों पर ऊपर निर्दिष्ट अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का निवेश 17 मई 2003 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। तथापि, किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक में किसी गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमाकर्ता बैंक की कुल जमाराशि जमाकर्ता बैंक की कुल जमा देयता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कुल अंतर-शहरी सहकारी बैंक जमाराशियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऊपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधि स्थिति, चलनिधि और अन्य बैंकों में जमाराशियों के निवेश के लिए अंन्य आवश्यकताओं, निधियों की लागत, ऐसी जमाराशियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर और ब्याज मार्जिन, काउण्टर पार्टी जोखिम आदि पर विचार करते हुए एक नीति तैयार करनी चाहिए और इसे अपने निवेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। बोर्ड छमाही अंतरालों पर स्थिति की समीक्षा करे।

गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों में निवेश पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित अनुदेश इस प्रकार हैं :

विवेकपूर्ण सीमा

गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश किसी शहरी सहकारी बैंक के गत वर्ष के 31 मार्च को कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत की सीमा में जारी रहेंगे।

लिखत

शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित में निवेश कर सकते हैं -

(क) ए अथवा समतुल्य और उच्चतर दर निर्धारित वाणिज्यिक पत्र (सीपी), डिबेंचर और बॉण्ड।

(ख) ऋण पारस्परिक निधि की ईकाईयों और मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ)।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

प्रतिबंध

(i) शाश्वत ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है।

(ii) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश उपर्युक्त (क) में निर्धारित एक न्यूनतम दर निर्धारण के अधीन होगा और किसी भी समय कुल गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ बैंकों ने पहले ही निर्धारित सीमा को पार कर लिया है वहाँ ऐसी प्रतिभूतियों में और निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) बहुत भारी छूट/ज़ीरो कूपन बॉण्डों में निवेश अवशिष्ट अवधि के लिए ऊपर वर्णित न्यूनतम दर निर्धारण और समतुल्य बाज़ार प्रतिफल के अधीन होगा।

(iv) ऋण पारस्परिक निधियों और मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) को छोड़कर पारस्परिक निधियों की ईकाईयों में निवेश की अनुमति नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआइ) सहित ऋण पारस्परिक निधियों और मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) को छोड़कर पारस्पनिक निधियों की ईकाईयों में विद्यमान धारिता को विनिविष्ट किया जाए। उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंक के खातों में धारित हैं उन्हें 10 प्रतिशत सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा। तथापि, शहरी सहकारी बैंक जोखिम प्रबंध नीति की इस प्रकार समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी पारस्परिक निधि की किसी भी योजना में अनुपात से अधिक उनका निवेश नहीं है।

(v) ऋण पारस्परिक निधियों और मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) और वाणिज्यिक पत्रों को छोड़कर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाला निवेश होगा।

(vi) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) के शेयरों में नए निवेशों की अनुमति नहीं है। इन संस्थाओं में विद्यमान शेयर धारिता को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंक की बहियों में धारित हैं उन्हें 10 प्रतिशत सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा।

(vii) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों को कारोबार के लिए धारित *(एचएफटी)/बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)* श्रेणियों में तथा निवेशों की इन श्रेणियों के लिए यथालागू बाज़ार के लिए अंकित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

(viii) सभी गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण एकल/समूह काउंटरपार्टी निवेश सीमा के अधीन होंगे।

(ix) गौण बाज़ार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के अर्जन/बिक्री के लिए सभी लेनदेन काउंटरपार्टियों के रूप में केवल वाणिज्यिक बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के साथ किया जाए।

फेमा

डायमंड डॉलर खाता खोलना उदार बनाया गया

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अब कच्चे अथवा कटे हुए अथवा पॉलिस किए हुए हीरों के बहुमूल्य धातु वाले सादे, मीनाकारी और/अथवा हीरों अथवा अन्य रत्न-जटित अथवा बिना हीरे अथवा अन्य रत्न-जटित आभूषणों के क्रय/विक्रय का कारोबार करने के साथ हीरे/रंगीन रत्नों/हीरों अथवा रंगीन रत्नों से जड़े हुए आभूषणों/सोने के सादे आभूषणों के आयात/निर्यात का कम-से-कम तीन वर्षों तक उल्लेखनीय कार्य करनेवाले और पिछले तीन लाइसेंन्स वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का औसत वार्षिक पण्यावर्त करनेवाले फर्मों और कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन डायमंड डॉलर खाता खोलने और उसे बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं :

(क) नियार्तकों को समय-समय पर जारी भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में निर्धारित पात्रता मानदण्डों का पालन करना होगा।

(ख) डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) निर्यातक के नाम में खोला जाए और उसका रखरखाव केवल अमरीकी डॉलर में किया जाए।

(ग) यह खाता केवल चालू खाता स्वरूप में होगा और खाते में धारित शेष पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(घ) खाताधारक द्वारा जारी डायमंड डॉलर खातों के बीच किसी अंतर-खाता अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) किसी निर्यातक फर्म/कंपनी को पाँच से अधिक डायमंड डॉलर खातों को खोलने और उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) खाते में धारित शेष आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(छ) भारत अथवा विदेश में बैंकों में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (इइएफसी) खातों को छोड़कर विदेशी मुद्रा खाता रखने वाली निर्यातक फर्में और कंपनियाँ डायमंड डॉलर खाते खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।

(त) डायमंड डॉलर खाता में लेनदेन निम्नप्रकार होगा :

अनुमत जमा

- अमरीकी डॉलर में प्राप्त लदान- पूर्व और लदानोत्तर वित्त की राशि।
- कच्चे, कटे हुए, पॉलिस किए हुए हीरों और हीरे जड़ित आभूषणों के लदान से प्राप्त निर्यात आगम।
- कच्चे, कटे हुए, पॉलिस किए हुए हीरों की स्थानीय बिक्री से अमरीकी डॉलर में प्राप्त राशि।

अनुमत नामे

- समुद्रपारीय/स्थानीय श्रोतों से कच्चे हीरों के आयात/क्रय के लिए भुगतान।
- स्थानीय श्रोतों से कटे हुए और पॉलिस किए हुए हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद के लिए भुगतान।
- समुद्रापारीय/नामित एजेंसियों से स्वर्ण के आयात/क्रय के लिए भुगतान तथा बैंक से प्राप्त अमरीकी डॉलर ऋणों की चुकौती।
- निर्यातक के रुपए खाते में अंतरण।

डायमंड डॉलर खाता खोलने के लिए निर्यातक फर्म/कंपनी को प्राथमिक व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास निर्धारित फार्मेट में एक आवेदन करना होगा। प्राथमिक व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के अंत में (अप्रैल-मार्च) फर्म/कंपनी के कार्यनिष्पादन का आकलन करें। अगर कोई फर्म/कंपनी पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करती है तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाए।

पूर्व में डायमंड डॉलर खाते खोलने के लिए अनुरोधों पर रिज़र्व बैंक द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता था।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**